कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीनमहाविद्यालय, बेरला, जिला–बेमेतरा
महाविद्यालय का ईमेल : collegeberla2008@gmail.com
वेबसाइटःgovtcollegeberla.in, फोन नं: 7825297300, 07825287744, कॉलेज कोड़:1705

सूचना 01 बेरला, दिनांक 11/09/2024

# //सूचना//

**विशयः– सत्र 2024-25 से पौ.मे.छा. छात्रवृत्ति की ऑनलाइन प्रकिया बाबत्।**

इस महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ***सत्र 2024–25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग*** के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। आवेदन हेतु इच्छुक छात्र–छात्राओं को पोर्टल **https://postmatric-scholarships.cg.gov.in/** के माध्यम से दिनॉक **09.09.2024 से 30.10.2024** तक आवेदन करें।

छात्र/छात्राएँ निम्न दस्तावेजों की **छायाप्रति** साथ में लावें।

01. ऑनलाईन छात्रवत्ति आवेदन की हार्डकापी।
02. 10वीं अंकसूची की छायाप्रति ।
03. 12वीं अंकसूची की छायाप्रति ।
04. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति **(तहसीलदार द्वारा प्रमाणित)**।
05. निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति **(तहसीलदार द्वारा प्रमाणित )**।
06. आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
07. आधार कार्ड की छायाप्रति ।
08. प्रवेश कार्ड(पीला कार्ड) एवं रसीद की छायाप्रति।
09. दो पासपोर्ट साईज फोटो।

**टीपः– महाविद्यालय में जमा दिनांक 25.10.2024 से 31.10.2024 समय 5:00 बजे तक।**

**नोट :–** 1. महाविद्यालय के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र – छात्राऐं पूर्व कक्षाओं की अंकसूची की छायाप्रति लगावें ।

2. बैंक पास बुक का मोबाइल नं. और छात्रवृत्ति आवेदन फार्म का मोबाइल नं. एक ही होना चाहिए ।

3. बैंक खाता से आधार कार्ड का लिंक/सीडिंग होना आवश्यक हैं ।

4. फार्म जमा हेतु समय 11:15 बजे से 3:00 बजे तक । कक्ष कमांक – 01

P. Gaure

डॉ. प्रेमलता गौरे
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

## एक बार पंजीकरण (ओ.टी.आर.)

जिले में संचालित सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) की पात्रता रखते है को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार **एक बार पंजीकरण (ओ.टी.आर.)** की अनिवार्यता इस वर्ष से प्रारम्भ कर दी गई है।

## OTR (One Time Registration)

अ– सर्व प्रथम ओ.टी.आर. पंजीयन हेतु मोबाईल में नीचे दर्शित दोनों एप्लीकेशन इंस्टाल होना आवश्यक है :–

1) **Download and install NSP OTR App from Google Play Store.**

2) **Download and install the Face RD App from Google Play Store.**

3) **Complete the face-authentication using option "eKYC with FaceAuth" on NSP OTR Mobile App.**

ब– ओ.टी.आर. पंजीयन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज/जानकारी आवश्यक है :–

अ.– आधार कार्ड/नंबर,

ब.– मोबाईल नंबर जो आधार से लिंक हो,

स.– बैंक खाता जो आधार से सीडिंग हो,

# // प्रक्रिया //

01– अपने माबाईल में इंस्टाल एप्प **NSP OTR App** खोल लेवें,

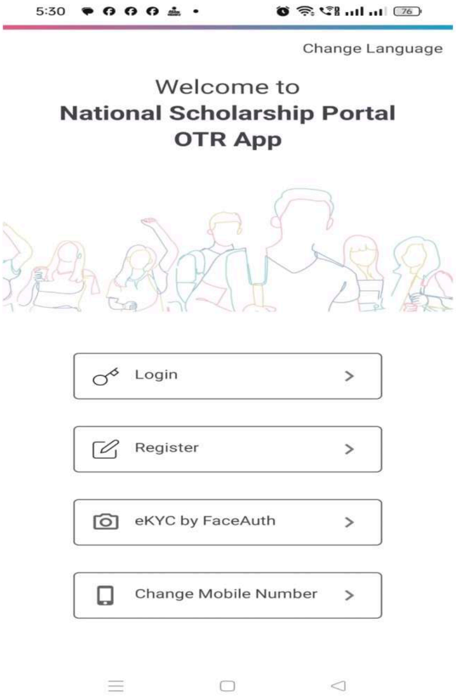


02– **Register** बिन्दु पर जाए,

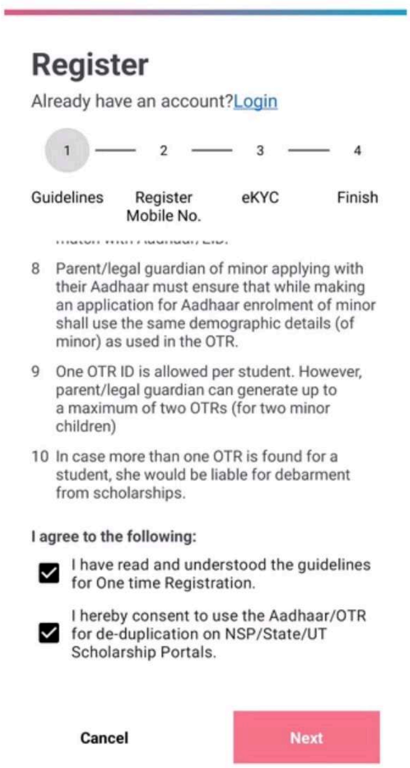


आवश्यक निर्देशों को पढ़कर नीचे चेकबाक्स में टीक कर **Next** बिन्दु पर क्लिक करें

03– दुसरे चरण में आधार से लिंक मोबाईल नंबर दर्ज करे, दर्ज मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर वेरिफाई करें।

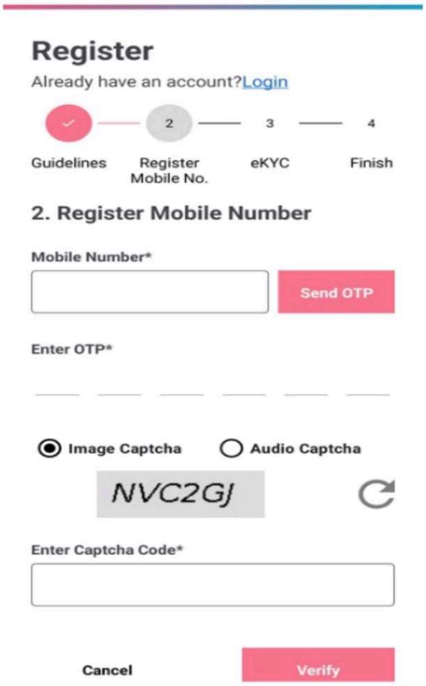


04– तीसरे चरण में आधार नंबर दर्ज करे, मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर **Next** बिन्दु पर क्लिक करें।

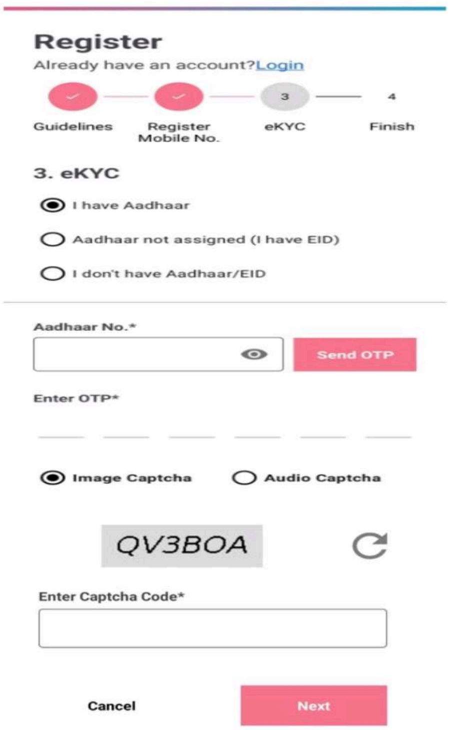

05– आधार बैंक से सीडिंग है या नहीं का संदेश प्राप्त होगा।

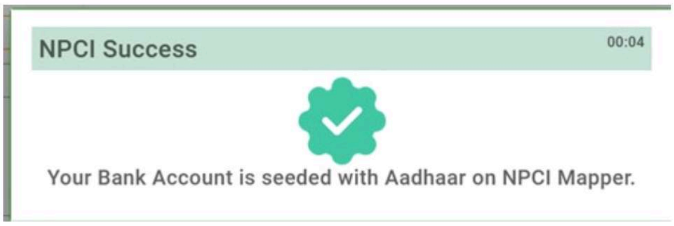


06– चौथे चरण में आधार की जानकारी प्राप्त होगी जो कि पूर्व से दर्ज है, केवल माता का नाम, पिता का नाम एवं अपना ई–मेल पता दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर **Finish** बिन्दु पर क्लिक करें।

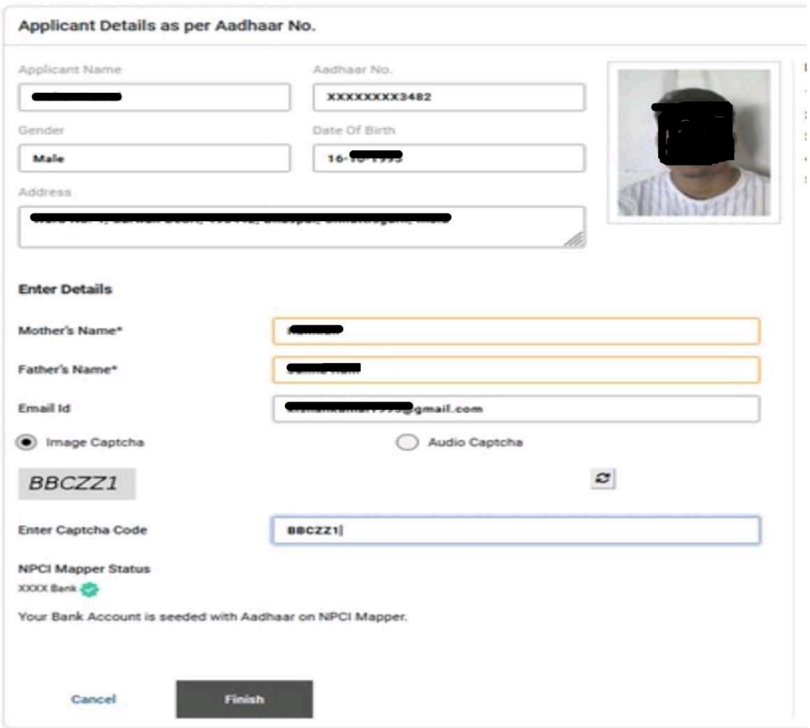


07– पंजीयन का कार्य पूर्ण करने के बाद एक **Registration No.** प्राप्त होगा।

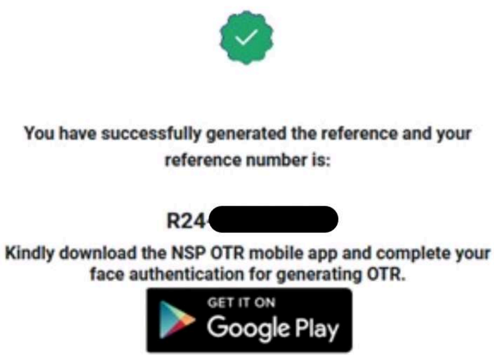


प्राप्त **Registration No.** को सुरक्षित कर लें।

08— पंजीयन का कार्य पूर्ण करने के बाद **eKYC by FaceAuth** बिन्दु पर जाए, जिसमें आपके चेहरे का सत्यापन किया जाना है। ब. में पूर्व में प्राप्त **Registration No.** को दर्ज करें।

**अ.**

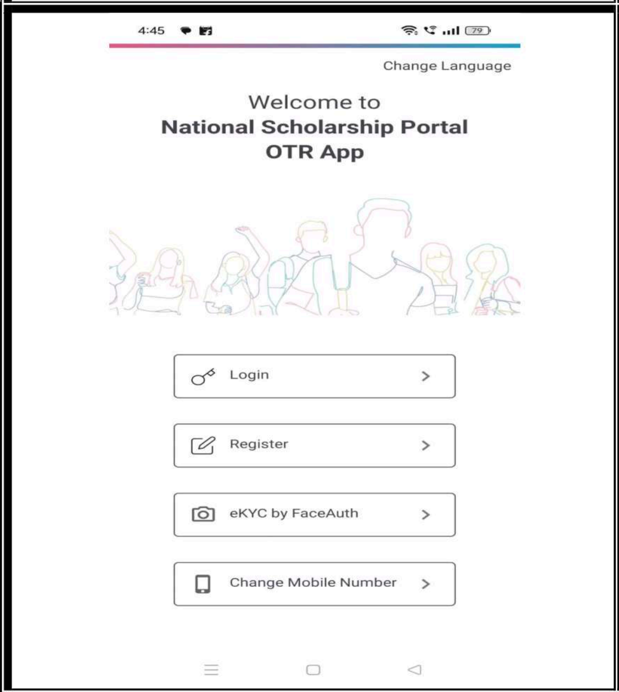


**ब.**

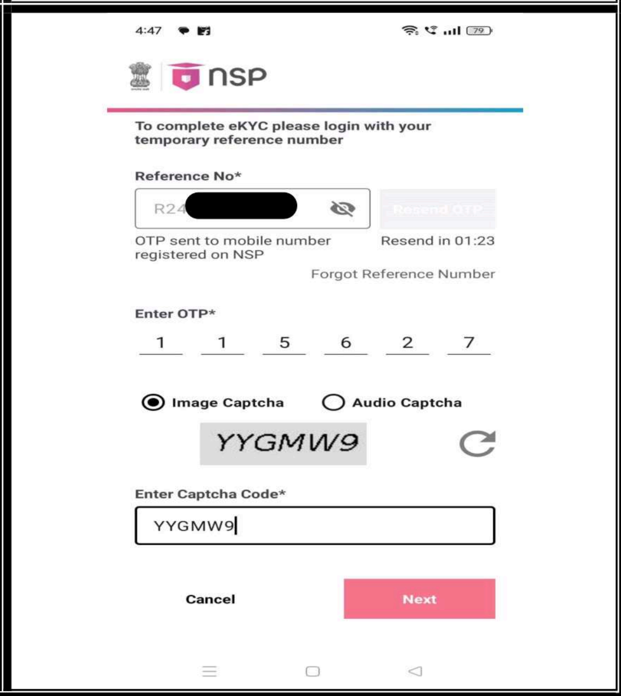


09— स. बिन्दु में आपका **Profile Details** दिखाई देगा जिसे **Proceed** करे। द. बिन्दु के चेक बाक्स में टीक लगाकर **Proceed** करे।

**स.**

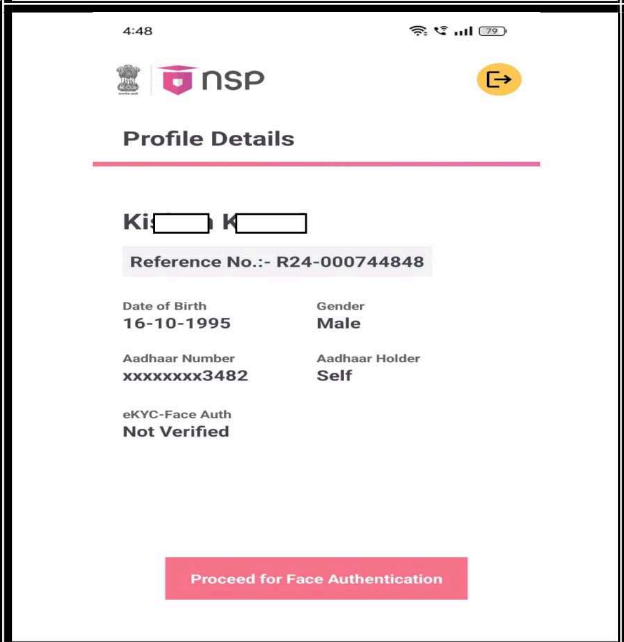


**द.**

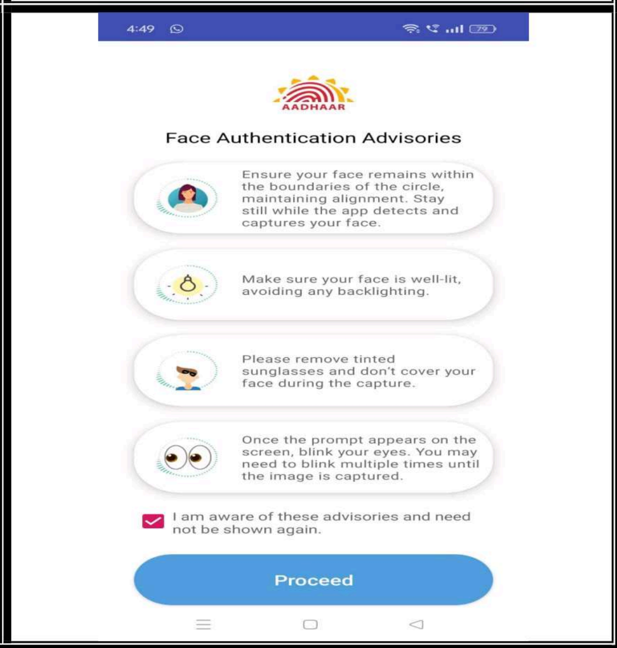

10— इ. बिन्दु से आपका **Face** का सत्यापन किया जावेगा, जिसमें ध्यान देवें की गोले का रंग हरा होने दे एवं ऑखों को खोले और बंद करें ताकि सत्यापन का कार्य सही हो सके। फ. सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाने पर आपको ओ.टी.आर. नंबर प्राप्त हो जावेगा।

| इ. | फ. |
|---|---|
| 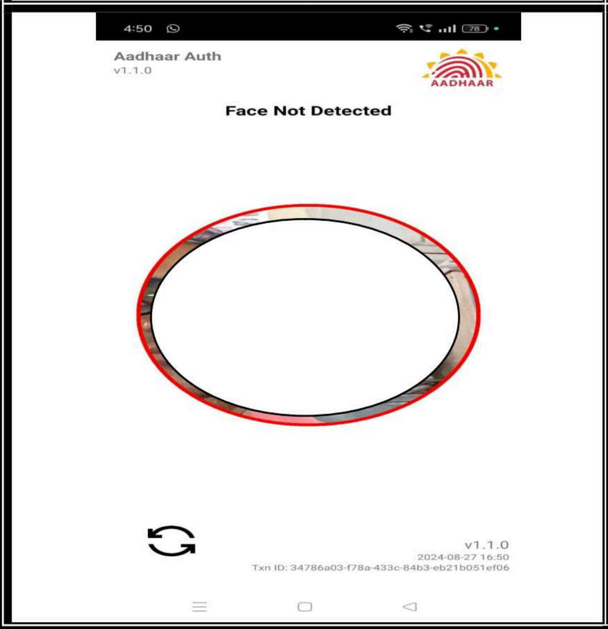 | 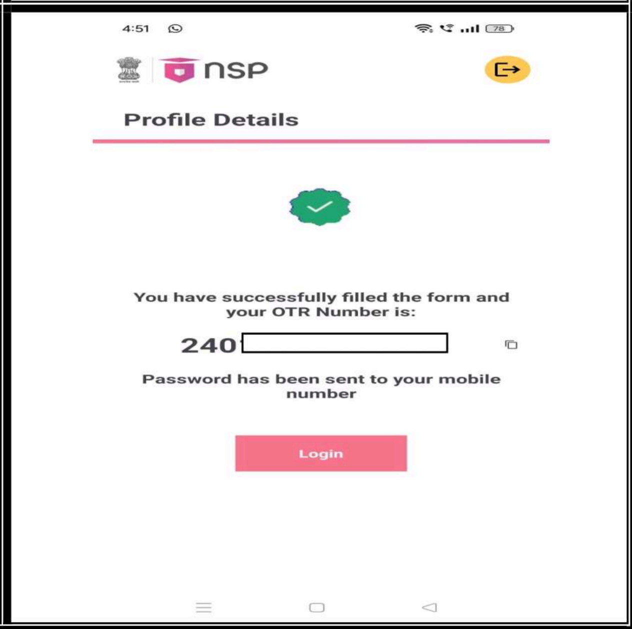 |

01— प्राप्त ओ.टी.आर. नंबर सुरक्षित रख लेवें। यही ओ.टी.आर. नंबर जब आपके द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरा जावेगा तब दर्ज करना होगा।

02— भारत शासन के निर्देशानुसार बिना ओ.टी.आर. नंबर के आवेदन किया जाना संभव नही है।

03— उक्त प्रक्रिया अंतर्गत जिनका आधार सीडिंग नहीं है वे विद्यार्थी भी ओ.टी.आर. नंबर प्राप्त कर सकते है। परन्तु छात्रवृत्ति आवेदन भरने से पूर्व संचालित बैंक खाता को आधार से सीडिंग निश्चित ही करा लेवें अन्यथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

04— ओ.टी.आर. की प्रक्रिया सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्याथियों के लिये आवश्यक है।